सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

10 नवम्बर, 2023

क्रमांक-57 : डॉ॰ रामानुज प्रसाद, स0वि0स0

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के गंगा नदी के किनारे वासित लोगों को बाढ़ एवं कटाव से सुरक्षा दिलाने हेतु छपरा से डोरीगंज, दिघवारा प्रखण्ड के मलखाचक, सोनपुर प्रखण्ड के मकरा नयागांव, पहलेजा घाट, गंगाजल बल्ली टोला नजरमीरा, सबलपुर के चारों पंचायत होते हुए गंडक नदी के काली घाट, हरिहरनाथ मंदिर तक रिंग बांधा का निर्माण करावे ।"

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिले के गंगा नदी के बाये किनारे छपरा से डोरीगंज, दिघवारा प्रखण्ड के मलखाचक, सोनपुर प्रखण्ड के मकरा नयागांव, पहलेजा घाट, गंगाजल बल्ली टोला नजरमीरा, सबलपुर के चारों पंचायत होते हुए गंडक नदी के काली घाट, हरिहरनाथ मंदिर तक तटबंध निर्मित नहीं है । उक्त प्रभाग में बाढ़ अवधि के दौरान गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रश्नगत प्रभाग के निचले भागों में बाढ़ का पानी फैल जाता है तथा जलस्तर घटने पर बाढ़ का पानी स्वत: वापस चला जाता है । बाढ़ अवधि में नदी तट का क्षरण होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थलों को सुरक्षित रखा जाता है । वर्तमान में प्रश्नगत स्थल पर रिंग बांध निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इसके पूर्व भी मैं यह सवाल लाया था और इन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इसकी तैयारी हो रही है अगले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से सामंजस्य स्थापित करके करा दिया जायेगा और आज कह रहे हैं कोई प्रस्ताव ही नहीं है । मेरा आग्रह है कि इस प्रस्ताव को मान लिया जाय और करा दिया जाय । हमारे क्षेत्र की बड़ी महत्वपूर्ण मांग है ।

उपाध्यक्ष :ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-58 : श्री विनय कुमार चौधरी, स0वि0स0

श्री विनय कुमार चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के बिरौल प्रखण्ड अंतर्गत कमरकला पंचायत में कमला नदी पर गमहरिया गाँव से हर गाँव के बीच पुल निर्माण करावे ।"

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, दरभंगा जिलांतर्गत प्रश्नगत स्थल गमहरिया गांव एवं हरसिर गांव के बीच कमला नदी पर पुल निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप पुल निर्माण पर विचार किया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, अगर प्रस्ताव रहता तो हमको गैर सरकारी संकल्प लाना पड़ता क्या ? एक तो पथ निर्माण विभाग की यह सड़क नहीं है यह ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क है और आप दरभंगा जिले को बखूबी जानते हैं कि कितनी नदी वहां से गुजरती है । इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप भी हमारी तरफ से कह दीजिय कि प्रस्ताव लाकर के उसको बनवा दीजिये ।

उपाध्यक्ष :ठीक है सरकार के संज्ञान में आ गया है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-59 : श्री उमाकांत सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-60 : श्री मुकेश कुमार रौशन, स0वि0स0

श्री मुकेश कुमार रौशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह महुआ विधानसभा क्षेत्र के महुआ प्रखण्ड अंतर्गत दारा चौक से गोविन्दपुर सिंघाड़ा शक्तिपीठ तक जाने वाली ग्रामीण कार्य विभाग सड़क को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण कराकर निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ ग्रामीण विभाग के अंतर्गत है। पथ अधिग्रहण की नई नीति पत्रांक-1548, दिनांक-25.02.2020 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने स्वामित्व वाले पथों का उन्नयन स्वयं कराया जाना है इसी क्रम में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ग्रामीण सड़क नेटवर्क मजबूत किये जाने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना पहले एम0एम0जी0एस0वाई0 थी बाद में यह एम0एम0जी0एस0यु0वाई0 कर दी गयी है जिसके अंतर्गत उसी सड़क को फिर से रिपेयर करना और चौड़ीकरण करना की यह योजना नई आई है उसके तहत इसकी शुरुआत की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण सड़क है इसको पथ निर्माण से अधिग्रहण कराकर इस सड़क का निर्माण जल्द कराया जाय ।